रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 656] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 13, 2009/कार्तिक 22, 1931
No. 656] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 13, 2009/KARTIKA 22, 1931

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 2009

सा.का.नि. 822(अ).— मजदूरी संदाय अधिनियम 1936(1936 का 4) की धारा 26 की उप-धारा (5) की अपेक्षानुसार कतिपय प्रारूप नियम, अर्थात् मजदूरी संदाय (नामनिर्देशन) नियम, 2009 भारत सरकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 450(अ.)तारीख 29 जून, 2009 द्वारा ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना या उस राजपत्र में जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से, तीन मास की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 29 जून, 2009 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और प्रस्तावित प्रारूप नियमों के संबंध में प्राप्त सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया;

अतः अब केन्द्रीय सरकार मजदूरी संदाय अधिनियम 1936 (1936 का 4) की धारा 26 की उप-धारा (2) के साथ पठित उप-धारा (3) खंड (झक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

नियम

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मजदूरी संदाय (नामनिर्देशन) नियम, 2009 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं:-** इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (1936 का 4) अभिप्रेत है;

(ख) "कुटुम्ब" से किसी नियोजित व्यक्ति के निम्नलिखित सभी या कोई नातेदार अभिप्रेत है, अर्थात्:-

(i) पति या पत्नी;
(ii) नियोजित व्यक्ति पर आश्रित अवयस्क बालक;
(iii) ऐसा बालक जो नियोजित व्यक्ति के उपार्जनों पर पूर्णत: निर्भर है और जो 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक शिक्षा ग्रहण करता है;
(iv) अविवाहित पुत्री;
(v) ऐसा पुत्र अथवा पुत्री जो किसी शारीरिक या मानसिक असामान्यता या क्षति के कारण अशक्त है और जब तक अशक्तता रहती है तब तक वह नियोजित व्यक्ति के उपार्जनों पर पूर्णत: निर्भर है;
(vi) आश्रित माता-पिता;

(ग) "प्ररूप" से इन नियमों से उपाबद्ध कोई प्रारूप अभिप्रेत है;

(घ) "अवयस्क" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है।

स्पष्टीकरण. - इस नियम के प्रयोजन के लिए "बालक" से दत्तक बालक अभिप्रेत है और इसमें सम्मिलित है और "पुत्र" या "पुत्री" के किसी प्रतिनिर्देश का तद्नुसार अर्थ लगाया जाएगा।

3. **नाम निर्देशन की प्रक्रिया-**

(1) प्रत्येक नियोजित व्यक्ति, उस रकम को प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करते हुए, जो उसकी मृत्यु की दशा में उसके खाते में जमा हो सकती है, उसके खाते में जमा रकम के संदेय होने से पूर्व या जहां रकम संदेय हो गई है वहां संदाय किए जाने से पूर्व किसी व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट करते हुए प्ररूप-I, में घोषणा करेगा।

(2) यदि किसी नियोजित व्यक्ति का नामनिर्देशन करने के समय कोई कुटुम्ब है तो नामनिर्देशन पत्नी या पति के हक में अथवा अधिमानत: पत्नी या पति के हक में और उसके पश्चात् उसके कुटुम्ब के एक या अधिक सदस्यों के हक में किया जाएगा:

परन्तु ऐसे नियोजित व्यक्ति द्वारा जिसका कुटुम्ब है, अपने कुटुम्ब के सदस्यों से भिन्न किसी व्यक्ति के हक में किया गया नामनिर्देशन अविधिमान्य होगा:

परन्तु यह और कि नियोजित व्यक्ति द्वारा अपने विवाह पर अपनी पत्नी या पति के हक में नया नामनिर्देशन किया जाएगा और ऐसे विवाह से पूर्व किया गया कोई भी नामनिर्देशन अविधिमान्य माना जाएगा।

(3) जहाँ नामनिर्देशन पूर्णत: या भागत: अवयस्क के हक में है वहां नियोजित व्यक्ति उसके कुटुम्ब के किसी वयस्क व्यक्ति को अवयस्क नामनिर्देशिती के संरक्षक के रूप में नियुक्त कर सकेगा या जहां कुटुम्ब में कोई वयस्क व्यक्ति नहीं है वहां पर अपने विवेकानुसार किसी अन्य व्यक्ति को अवयस्क नामनिर्देशिती का संरक्षक नियुक्त कर सकेगा।

(4) यदि नियोजित व्यक्ति एक से अधिक सदस्यों को नामनिर्देशित करता है तो वह नामनिर्देशन में अपने स्वविवेकानुसार अपने प्रत्येक नामनिर्देशिती को संदेय रकम या अंश को विनिर्दिष्ट करेगा जिससे वह पूरी रकम जो उसके खाते में जमा है, पूरी तरह बंट सके ।

[फा. सं. एस-31012/1/2008-डब्ल्यूसी (पीडब्ल्यू)]

डॉ. हरचरण सिंह, उप-महानिदेशक

प्ररूप-1

नामनिर्देशन ओर घोषणा प्ररूप

(नियम 3 देखे)

1. नामनिर्देशन करने वाले व्यक्ति का नाम (स्पष्ट शब्दों में)
2. पिता /पति का नाम
3. जन्म की तारीख
4. लिंग
5. वैवाहिक प्रास्थिति
6. पता

स्थायी:

अस्थायी:

मैं व्यक्ति (व्यक्तियों) को नामनिर्देशित करता हूँ/अपने द्वारा पूर्व में किए गए नामनिर्देशन को रद्द करता हूँ और मेरी मृत्यु की दशा में, नीचे निर्दिष्ट व्यक्तियों को नियोजक से मुझको शोध्य किसी रकम को प्राप्त करने के लिए नाम निर्देशित करता हूँ ।

नामनिर्देशिती/ नामनिर्देशितियों का/के नाम	पता	नामनिर्देशिती का सदस्य से नाता	जन्म की तारीख	प्रत्येक नाम निर्देशिती को संदत्त किए जाने वाले खाते में कुल जमा में अंश की कुल रकम	यदि नामनिर्देशिती अवस्यक है तो संरक्षक जो नामनिर्देशिती की अवयस्कता के दौरान रकम प्राप्त कर सकेगा, का नाम, नातेदारी और पता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

1. प्रमाणित किया जाता है कि मेरा कोई कुटुम्ब नहीं है और यदि मैं तत्पश्चात् कोई कुटुम्ब अर्जित करता हूँ तो उपरोक्त नामनिर्देशन को रद्द समझा जाए।

2. प्रमाणित किया जाता है कि मेरे माता/पिता मुझ पर निर्भर है/हैं ।

3. जो लागू न हो उसे काट दें।

नियोजित व्यक्ति के हस्ताक्षर या अंगूठा निशान

नियोजक द्वारा प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त घोषणा और नामनिर्देशन पर मेरे स्थापन में नियोजित श्री/श्रीमती/ कु.---------- द्वारा उसके प्रविष्टि/प्रविष्टयों को पढ़ने /मेरे द्वारा उसको सुनाने और उसे पुष्टि कराने के पश्चात् मेरे समक्ष, हस्ताक्षर किए गए हैं/ अंगूठा लगाया गया है।

नियोजक या स्थापना के अन्य प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर और पदनाम

स्थान :

तारीख :

कारखाने /स्थापना का नाम और पता और उसकी रबर स्टांप